कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क./ 4613 /एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ़, दिनांक 21 /04/2021

– आदेश –

गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 24.03.2021 एवं गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 07.04.2021 एवं गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 20.04.2021 में प्रदत्त निर्देशों के पालन में जिले में कोविड–19 संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोतरी को दृष्टिगत रखते हुये मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश क. 4656/एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ दिनांक 17.04.2021 में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ:–

1. जिले में स्थित केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोला/चलाया जावें।
2. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल, आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित है।
3. आई.टी.कंपनियों, बी.पी.ओ./मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोडकर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेंगे।
4. मीडिया, समाचार से संबंधित कार्यालय को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जाता है।
5. उपरोक्त बिन्दु कमांक 1, 2 एवं 3 में 10 प्रतिशत कर्मचारियों के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते है वे वर्क फार्म होम करेंगे। 10 प्रतिशत रोटेशन की व्यवस्था केवल कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान ही होगी, शेष दिवसों में नहीं।
6. ऑटो, ई–रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।
7. सामाजिक/राजनैतिक/खेलकुद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यकमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
8. थोक व्यापारियो द्वारा फुटकर किराना दुकानों में साम्रगी का प्रदाय सतत् एवं निर्बाध रूप से बना रहे, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला राजगढ यह सुनिश्चित करें।
9. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉं नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित

Scanned by CamScanner

दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

यह आदेश आज दिनांक 21.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबधित थाना प्रभारियों को आपके स्तर से भी कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त ....जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त .... जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग राजगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

Scanned by CamScanner